संख्या-18/2020/235/क0नि0प्र0/26-3-2020-20(6)/2020

प्रेषक,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांक: 18 मार्च,2020**

समाज कल्याण विभाग

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक- 2218-19 /स0क0/ विकास/ आधारभूत (सबप्लान)/ मिरजापुर(205)/2019-20 दिनांक 02 मार्च, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड-जमालपुर तहसील (चुनार) के ग्राम शेरवा में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तगर्त विकास विकास कार्य कराये जाने हेतु कुल आंगणित धनराशि रू0 95.92 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष रू0 66.12 लाख (रू. छियासठ लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ(यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) से कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि निदेशक,समाज कल्याण द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अति-अल्पकालीन निविदा कराकर प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664 / क0नि0प्र0/ 26-3-2014-13 (62)/ 2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2019 तथा शासनदेश संख्या-73 भा.स./क0नि0प्र0/26-3-2019-13 (62)/2013 दिनांक 22 अगस्त,2019 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जायेगा जिसे लोक निर्माण विभाग के शासनादेश में प्राविधाननुसार व्यय देय होगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(8) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की लागत मे सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ.संख्या-18/2020/235/(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, मीरजापुर।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ/कोषाधिकारी, मीरजापुर।
4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), मीरजापुर।
6- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ(यू.पी.सी.एल.डी.एफ.), लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।